न्यायालय, समाहर्त्ता एवं जिला दंडाधिकारी, खगड़िया

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)

केस का प्रकार– उत्पाद अधिहरण वाद सं0–55/2017–18 राज्य बनाम राकेश कुमार

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक
19.09.2017	**<u>आदेश</u>** पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 2026/सी0आर0, दिनांक 28.06.2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि धारा 30(ए) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत खगड़िया थाना कांड संख्या–383/17 दिनांक 04.06.2017 में वादी पु0अ0नि0 श्री संतोष कुमार द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर एक ऑरेंज कलर का एक टीयागो एक्स जेड कार जिसका पंजीयन सं0–BR-10W-4570 में एक काले रंग के बैग में रॉयल स्टेग कम्पनी का 42 (बयालिस) बोतल विदेशी शराब बरामद किया गया। जप्त वाहन का उपयोग राज्य में शराब लाकर खरीद–बिक्री में किया जा रहा था। उक्त कांड में जप्त वाहन को अधिहरण करने का प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के माध्यम से प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के साथ प्राथमिकी, तलासी सह जप्ती सूची, पुलिस निरीक्षक, सदर खगड़िया का पर्यवेक्षण टिप्पणी संलग्न है। अभिलेख में मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 30 (ए) के अन्तर्गत तलासी सह जप्ती सूची की प्रारंभिक रिपोर्ट संलग्न है। प्रतिवेदन में जप्ती का विवरण स्पष्ट है जो अधिहरण प्रस्ताव में वर्णित स्थिति को सम्पुष्ट करता है। जप्ती की विवरणी निम्नवत है:– जप्ती सूची के अनुसार ऑरेंज कलर का एक टीयागो एक्स जेड कार जिसका पंजीयन संख्या BR-10W–4570 के ड्राइविंग सीट पर बैठा रौशन राज, बलुआही थाना–नगर खगड़िया, जिला–खगड़िया के बाये तरफ बगल में रखा हुआ काला रंग के बैग में 42 (बयालिस) बोतल रॉयल स्टेग कम्पनी का 180 एम0एल0 का विदेशी शराब बरामद किया गया जिस पर Use Sale for Punjab Only लिखा हुआ था। प्राप्त अधिहरण प्रस्ताव के आलोक में सभी संबंधितों को विधिवत सूचना निर्गत कर सुनवाई की निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया। विपक्षी राकेश कुमार पिता–कृष्णा कुमार यादव, वार्ड नं0–24, बलुआही, थाना– सदर खगड़िया, जिला–खगड़िया के विरूद्ध ज्ञापांक 294/डी0बी0/विधि, दिनांक 07.09.2017 से नोटिस निर्गत किया गया तथा डी0बी0 नं0 295/विधि, दिनांक 07.09.2017 से तामिला हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, खगड़िया को अपने अधिनस्थ थाना के माध्यम से तामिला कराने हेतु भेजा गया । डी0बी0नं0–164/विधि, दिनांक 06.07.2017 एवं डी0बी0नं0 193/विधि, दिनांक 26.07.17 तथा डी0बी0 नं0–26मु0/विधि, दिनांक 05. 08.2017 से जिला परिवहन पदाधिकारी, भागलपुर से गाड़ी निबंधन पंजी से	

for Upload 23/10/17

इसका सत्यापन कर गाड़ी मालिक का नाम एवं पता की माग की गया।

जिला परिवहन पदाधिकारी, भागलपुर के ज्ञापांक 1797/परि0, दिनांक 12.08.2017 से वाहन स्वामी का नाम एवं पता प्रतिवेदित किया गया। जिसमें अंकित किया गया कि वाहन संख्या BR-10W-4570 चेसिस नं0 MAT626184GKF18369 राकेश कुमार, पिता–कृष्णा कुमार यादव, वार्ड नं0–24, बलुआही, जिला–खगड़िया के नाम से पंजीवद्ध है।

विपक्षी की ओर कारण पुच्छा दायर किया गया। कारण पुच्छा में उल्लेख किया गया है जप्त कार टीयागो एक्स जेड नं0–बी0आर 10 डब्लू 4570 उनकी निजी वाहन था जो गाड़ी अपने रिश्तेदार के यहाँ गैरेज में रखता था तथा जब जरूरत होती गाड़ी निकाल कर ड्राइवर घर के सामने लगाकर साफ–सफाई कर लेता था। तथाकथित घटना तिथि को गंगा दशहरा का दिन था एवं गंगा स्नान जाने हेतु गाड़ी को साफ–सफाई कर ड्राइवर घर चला गया। वे अपने आवास के तीसरे मंजिल में थे तथा नीचे बच्चे लोग थे। नीचे कुछ हल्ला–गुल्ला जैसा लगा तो वालकनी से नीचे देखने पर पाया कि उनके नवालिग लड़का रौशन राज को पुलिस वाले हाथ पीछे उल्टा कर बाँध कर ले जाना चाह रहे थे। यह दृष्य देखकर वे नीचे आकर पुलिस को विरोध किया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्हें धमकी व भयभीत कर गाड़ी एवं नवालिग बच्चे को लेकर थाना चले गये। बाद में पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा तथा–कथित केश के बारे में बताया गया तथा अपने नवालिग लड़का से इस संबंध में पूछा तो जानकारी हुई कि उस वक्त तक गाड़ी में कुछ भी नहीं था। थाने पर जाकर सारा कुछ बनाया गया। उनकी गाड़ी से न तो किसी तरह की कोई बरामदगी हुई है एवं न ही तथाकथित बरामद शराब से उन्हें एवं उनके नवालिग लड़के का कोई लेना–देना है। विरोधियों एवं दुश्मनों की साजिस के तहत उनकी गाड़ी को फसाया गया है, जो मामला अभी न्यायालय में लंवित है। आवेदक एक खुशहाल किसान परिवार से है तथा खुद अपने इस्तेमाल के लिए जप्त गाड़ी टीयागो एक्स जेड नं0–बी0आर010डब्लू–4570 लिएएवं इस्तेमाल किए। उनके द्वारा कारण पृच्छा को स्वीकार करते हुए जप्त टीयागो एक्स जेड नं0–बी0आर 10डब्लू–4570 को मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 2026/सी0आर0, दिनांक 28.06.2017 के साथ संलग्न पु0अ0नि0 खगड़िया थाना के अधिहरण प्रस्ताव एवं जप्ती सूची के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत वाहन संख्या BR-10W–4570 चेसिस नं0 MAT626184GKF18369 जो शराब कारोबार के लिए इश्तेमाल किया जा रहा था, जो वर्त्तमान में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत संज्ञेय अपराध है तथा इसमें प्रयुक्त वाहन अधिहरण योग्य है।

विपक्षी द्वारा अपने कारण पृच्छा में यह कहना कि अपने नवालिग लड़का से इस संबंध में पूछा तो जानकारी हुई कि उस वक्त तक गाड़ी में कुछ भी नहीं था। थाने पर जाकर सारा कुछ बनाया गया। उनकी गाड़ी से न तो किसी तरह की कोई बरामदगी हुई है एवं न ही तथाकथित

बरामद शराब से उन्हें एवं उनके नवालिग लड़के का कोई लेना–देना है। विरोधियों एवं दुश्मनों की साजिस के तहत उनकी गाड़ी को फसाया गया है। इस संबंध में विपक्षी द्वारा न तो कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है और न कोई कागजात जिससे यह पता चले कि उन्हें साजिस के तहत उनकी गाड़ी को फसाया गया है।

सुनवाई के क्रम में विशेष लोक अभियोजक द्वारा इस कांड में विधिवत की गयी जप्ती एवं प्रश्नगत वाहन को अधिनियम की धारा 58(2)के अन्तर्गत अधिहरण योग्य बताया गया। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि सभी प्रतिवेदनों से स्पष्ट है कि वाहन संख्या BR-10W–4570 चेसिस नं0 MAT626184GKF18369 का इश्तेमाल शराब के कारोबार के लिए किया जा रहा था, जो संदर्भित अधिनियम अन्तर्गत राज्य में पूर्णतः निसिद्ध होने के कारण संज्ञेय अपराध है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में प्रश्नगत वाहन संख्या BR-10W–4570 चेसिस नं0 MAT626184GKF18369 मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम के अन्तर्गत अधिहरण किये जाने योग्य है। अतः निम्नलिखित आदेश दिया जाता है कि :–

1. इस अपराध में प्रयुक्त वाहन संख्या BR-10W–4570 चेसिस नं0 MAT626184GKF18369 है जो जप्त कर खगड़िया थाना में रखा हुआ है, को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 58(2) के अन्तर्गत अधिहरण किया जाता है। अधिहरण किये जाने वाला वाहन किसी भी ऋणभार से मुक्त होगा। साथ ही लोकहित में आदेश दिया जाता है कि इस अधिनियम की धारा 58(5) के अन्तर्गत सार्वजनिक निलामी के माध्यम से इसकी बिक्री की जाए।
2. जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि थाना में जप्त वाहन संख्या संख्या BR-10W–4570 चेसिस नं0 MAT626184GKF18369 का मोटरयान निरीक्षक खगड़िया से मुआयना कराकर उसका मूल्यांकन प्रतिवेदन तीन दिनों के अन्दर समर्पित करेंगे।
3. सार्वजनिक निलामी की कार्रवाई उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया की देख–रेख में की जायेगी और निलामी से प्राप्त धन राशि सरकारी खजाने में विहित रीति से जमा की जायेगी।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता 6/9/17
खगड़िया।

समाहर्त्ता 6/9/17
खगड़िया।

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3.
	डी0 बी0 नं0 380 /विधि, दिनांक 18/10/2017 प्रतिलिपिः–जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया/ अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपिः–पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश की प्रति जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय। 18/10/17 प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि, शाखा खगड़िया। 18/10/17	